



**KOSI DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD, SUPAUL**  
**कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल**

सं०:के०डी०यू०एस०एस०एल०:पी०एण्ड०ए०:०३:९४८

दिनांक 16.03.2024

**विज्ञापन सं० : 01 / 2024**

**संविदा के आधार पर 'दुग्ध संग्रहण सलाहकार की आवश्यकता**

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के दुग्ध संग्रहण क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने तथा समय-समय पर केन्द्र/राज्य/एन०डी०डी०बी० द्वारा वित्त प्रदत्त विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु दुग्ध संग्रहण सलाहकार पद हेतु संग्रहण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले योग्य भारतीय नागरिक से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की विवरणी, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है :-

**क्रमांक पद का नाम पदों की संख्या**

**01 दुग्ध संग्रहण सलाहकार 01**

**आयु सीमा :- 70 वर्ष से कम होना चाहिए।**

**आवेदन फीस :- 700 रु का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो "KOSI DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD" के पक्ष में सुपौल में देय होगा।**

**शैक्षणिक योग्यता :- B.Sc (Ag.)/B.V.Sc**

**अनुभव :-**

किसी दुग्ध संघ/इकाई/महासंघ में सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हों या सरकार से सेवानिवृत्त किए अभ्यर्थी जो गव्य/पशुपालन विभाग में सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के समतुल्य कैंडिडेट से सेवानिवृत्त हुए हों तथा न्यूनतम 05 वर्ष का संग्रहण क्षेत्र में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। मैनेजमेंट किये हुए अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र पूर्ण शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए दिनांक 25.03.2024 के 5.00 बजे अपराह्न तक साधारण डाक/कुरियर/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों-हाथ संघ के निम्नलिखित पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा :-

**प्रभारी (कार्मिक एवं प्रशासन)**

**कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०**

**सुपौल डेयरी, सुपौल**

**गौरवगढ़, वार्ड नं० 4, किशनपुर रोड**

**पो०-सुपौल, जिला-सुपौल, पिन-852131**

आवेदन का प्रारूप एवं विशेष जानकारी संघ के वेबसाइट [www.supauldairy.com](http://www.supauldairy.com) पर उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन को निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

**प्रबंध निदेशक**

**सुधा**

**Gaurav Garh, Ward No. 4, Kishanpur Road, P.O-Supaul, Dist- Supaul – 852131(Bihar)**

गौरवगढ़, वार्ड नं० 4, किशनपुर रोड, पो०-सुपौल, जिला-सुपौल-852131 (बिहार)

Phone no./दूरभाष सं० 06473-224048, 224049 Email/ई-मेल : [kmu.supaul@gmail.com](mailto:kmu.supaul@gmail.com)

## आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन सं० : 01 / 2024

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. आवेदित पद का नाम : दुग्ध संग्रहण सलाहकार
2. अभ्यर्थी का नाम :
3. जन्म तिथि (प्रमाण हेतु मैट्रिक के :  
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. पिता/पति का नाम :
5. मोबाईल नं० :
6. ईमेल आईडी० :
7. वर्तमान पता :
8. शैक्षणिक योग्यता :  
(मार्कशीट/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
9. कार्य अनुभव(संस्था से कार्य विरमित होने का पत्र एवं संग्रहण कार्य हेतु विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का पत्र एवं संलग्न करें) :-
10. किसी निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र संलग्न है (हां/नहीं) :
11. कोई विभागीय कार्यवाही, कोई गंभीर आरोप विचाराधीन एवं किसी तरह का अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो, इस हेतु स्व-घोषणा पत्र संलग्न है (हां/नहीं) :
12. कोई विशिष्ट कार्य की उपलब्धि यदि हो :
13. अन्य कोई उपलब्धि यदि हो :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

# कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल

“दुग्ध संग्रहण सलाहकार” पद पर संविदा पर नियोजन (विज्ञापन सं० 01/2024) हेतु सामान्य अनुदेश :-

1. दुग्ध संग्रहण सलाहकार पद हेतु निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव होना जरूरी है :-  
**शैक्षणिक योग्यता** :-B.Sc (Ag.)/B.V.Sc  
**अनुभव** :-  
किसी दुग्ध संघ/इकाई/महासंघ में सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हों या सरकार से सेवानिवृत्त किए अभ्यर्थी जो गव्य/पशुपालन विभाग में सहायक महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के समतुल्य कैडर से सेवानिवृत्त हुए हों तथा न्यूनतम 05 वर्ष का संग्रहण क्षेत्र में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। मैनजमेंट किये हुए अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवाएँ नहीं ली जाएगी, इस हेतु आवेदक को स्वअभिप्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :-  
क) जिनपर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।  
ख) जिनपर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।  
ग) जिनपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो।
3. नियोजन हेतु चयन करते समय स्वस्थ होने के संबंध में किसी निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. चयनोपरांत संघ के किसी भी इकाई अथवा कार्यक्षेत्र के जिला में सेवा ली जा सकती है।
5. इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उनकी संविदा कभी भी रद्द की जा सकेगी।
6. प्रबंध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त सलाहकार हेतु संविदा आधारित नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।
7. चयन प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए उनकी सेवा अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।
8. दुग्ध संग्रहण सलाहकार पद पर चयन हेतु पदाधिकारी की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।
9. यदि संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
10. चयनित सलाहकार को समेकित वेतन दिया जाएगा, जो निगोशियेबुल होगा।
11. उक्त प्रक्रिया के अधीन चयनित सेवक के भविष्य निधि मद में कटौती नहीं की जाएगी।
12. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जानेवाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में रु 1000.00 के ननज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा सम्पन्न किया जाएगा।
13. संविदा पर नियोजित सलाहकार को यात्रा भत्ता की अनुमान्यता उनके धारित पद के लिए नियमित पदाधिकारी के समतुल्य होगी।
14. संविदा पर नियोजित सलाहकार की सेवावधि विस्तार संबंधी सूचना संघ के निदेशक मंडल की अगली बैठक में सूचनार्थ रखी जाएगी।
15. यह नियोजन पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएँगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे तथा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।
16. संघ में विरचित नीति के अनुसार अन्य शर्तें लागू होगी।
17. बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी सेवा से कार्यमुक्त करने का अधिकार पूर्णतः प्रबंध निदेशक को सुरक्षित रहेगा।
18. कॉम्फेड/संघ/बिहार सरकार के नीति में संशोधन अथवा आवश्यकतानुसार उक्त नीति में संशोधन किया जा सकेगा।

प्रबंध निदेशक